प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 17.12.2025

आईटीएस कॉलेज, मोहननगर में यातायात पुलिस हेतु व्यवहार प्रशिक्षण का समापन एवं सम्मान समारोह का आयोजन

आईटीएस कॉलेज, मोहननगर, गाजियाबाद में विगत 01 माह से यातायात पुलिस कर्मियों हेतु चल रहे बिहेवियरल ट्रेनिंग फैसिलिटेशन कार्यक्रम का आज दिनांक 17.12.2025 को आईटीएस कॉलेज, मोहननगर, गाजियाबाद में समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था/यातायात द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर यातायात कर्मियों एवं छात्र/छात्राओं को यातायात नियमों के पालन, सड़क सुरक्षा, अनुशासित व्यवहार तथा नागरिकों के साथ मर्यादित एवं संवेदनशील व्यवहार के संबंध में विस्तार से ब्रीफ किया गया।

कार्यक्रम का शुभारम्भ आईटीएस कॉलेज, मोहननगर के वाइस चेयरमेन श्री अर्पित चढ्ढा द्वारा स्वागत भाषण करते हुए यातायात पुलिस के कार्यों की सराहना की तथा नागरिकों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार एवं सकारात्मक संवाद के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान विगत 01 माह से यातायात पुलिस कर्मियों हेतु चल रहे बिहेवियरल ट्रेनिंग फैसिलिटेशन कार्यक्रम के समापन के अवसर पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था/यातायात एवं पुलिस उपायुक्त, यातायात द्वारा बिहेवियरल ट्रेनिंग प्राप्त किये यातायात कर्मियों एवं यातायात माह नवम्बर के दौरान प्रभावी जनजागरूकता एवं सर्वाधिक प्रवर्तन कार्यवाही करने वाले 03 यातायात निरीक्षक एवं 03 यातायात उपनिरीक्षकों को सम्मानित कर प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त, अपने दैनिक कर्तव्यों के साथ साथ अन्य प्रकार के सराहनीय कार्य करने वाले 02 यातायात उपनिरीक्षक, 05 मुख्य आरक्षी एवं 04 आरक्षी (यातायात) को भी सम्मानित करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए, जिससे कर्मियों का मनोबल बढ़ सके एवं भविष्य में और अधिक उत्साह के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

उक्त कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त-कानून व्यस्थ्था/यातायात, पुलिस उपायुक्त-यातायात, सहायक पुलिस आयुक्त-यातायात प्रथम, समस्त यातायात निरीक्षक गण के साथ साथ लगभग 310 यातायात पुलिस कर्मी, आईटीएस कॉलेज के छात्र–छात्राएं एवं फैकल्टी स्टाफ उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य यातायात पुलिस कर्मियों के व्यवहारिक कौशल को और अधिक सुदृढ़ करना, सड़क सुरक्षा के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को प्रोत्साहित करना रहा। इस प्रकार के कार्यक्रम आईटीएस कॉलेज, मोहननगर के सहयोग से भविष्य में भी चलाये जाते रहेंगे।

सुरक्षित चलें - सुरक्षित रहें

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर व 02 टुल्लू पम्प बरामद।

दिनांक 16.12.2025 को थाना मसूरी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 08/12/2025 को अज्ञात चोर द्वारा वादी के गोदाम से कई छोटी-बडी मोटर चोरी कल ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर सुसंगत धारा 305(ए) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये मैनुअल इन्पुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण 1.सरवरे आलम पुत्र फरियाद निवासी ग्राम पिपलेहडा थाना धौलाना जनपद हापुड उम्र करीब 19 वर्ष 2. तालिब पुत्र महबूब निवासी ग्राम पिपलेहडा थाना धौलाना जनपद हापुड उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटर व 02 टुल्लू पम्प बरामद हुई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमने अपने एक अन्य साथी शहनवाज पुत्र युसुफ निवासी ग्राम पिपलैडा थाना धौलाना जिला हापुड के साथ मिलकर गोदाम से मोटर व टुल्लू पम्प चोरी की थी जिन्हें हम ऑटो से बेचने के लिए जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.सरवरे आलम पुत्र फरियाद निवासी ग्राम पिपलेहडा थाना धौलाना जनपद हापुड उम्र करीब 19 वर्ष।

2. तालिब पुत्र महबूब निवासी ग्राम पिपलेहडा थाना धौलाना जनपद हापुड उम्र करीब 21 वर्ष।

वांछित अभियुक्त का नाम व पता –

शहनवाज पुत्र युसुफ निवासी ग्राम पिपलैडा थाना धौलाना जिला हापुड।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त तालिब पुत्र महबूब उपरोक्त के विरूद्ध थाना मसूरी पर चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त सरवरे आलम के विरूद्ध थाना मसूरी पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 16.12.2025 को थाना खोड़ा पर वादिया द्वारा लिखित तहरीर दी गई और बताया कि मेरी बेटी नासरीन उम्र करीब डेढ़ वर्ष को वादिया के दूसरे पति अनूप कुमार पटेल पुत्र रविन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम आजाद नगर थाना पचारी स्टेशन जिला छपरा (बिहार) हाल पता दीपक बिहार खोड़ा थाना खोड़ा गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष के द्वारा मार दिया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना खोड़ा पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटना क्रम में आज

दिनांक 17.12.2025 को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर हत्या की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त अनूप कुमार पटेल पुत्र रविन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम आजाद नगर थाना पचारी स्टेशन जिला छपरा (बिहार) हाल पता दीपक विहार खोड़ा थाना खोड़ा गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष को इतवार पुस्ता रोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त उपरोक्त ने वादिया से पहले पति के द्वारा छोड़ने के बाद दूसरी शादी (लवमैरिंज) मन्दिर में की थी तथा वादिया के पहले पति से एक लड़की नासरीन थी जो दोनों के साथ रहती थी। जिसको लेकर अभियुक्त और वादिया का आपस में झगडा होता रहता था तथा वादिया की माँ वादिया का अभियुक्त से तलाक कराकर अन्य जगह शादी करने के लिये कहती थी। इसीक्रम में दिनांक 14.12.2025 अभियुक्त का वादिया से झगडा हुआ और अभियुक्त ने वादिया की बेटी नासरीन उम्र करीब डेढ़ वर्ष की हत्या करने की घटना कारित कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अनूप कुमार पटेल पुत्र रविन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम आजाद नगर थाना पचारी स्टेशन जिला छपरा (बिहार) हाल पता दीपक विहार खोड़ा थाना खोड़ा गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त अनूप कुमार पटेल पुत्र रविन्द्र प्रसाद उपरोक्त के विरुद्ध थाना खोडा पर हत्या से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना खोड़ा पुलिस टीम।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा कार का शीशा तोड़कर कार में लगा स्पीकर (साउण्ड) चोरी करने वाले 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया हुआ स्पीकर (साउण्ड) बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 17.12.2025 को थाना लिंकरोड पर वादी ने लिखित तहरीर दी और बताया कि मेरी गाडी से तीन लडकों द्वारा वैगनआर का शीशा तोड़कर गाडी में लगा स्पीकर (साउण्ड) चोरी कर लेने के सम्बन्ध में धारा 303(2), 317(2), 324(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा मौके से स्पीकर चोरी करने वाले 03 अभियुक्तगण 1. किशन पुत्र बाबूलाल निवासी गली न0 2 दुर्गा कॉलोनी राजेन्द्र नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष, 2. रोशन पुत्र मुन्ना राजपूत निवासी ग्राम भागीचक थाना जमालपुर जिला मुंगेर बिहार हाल पता गली न0 2 राजबाग कॉलोनी राजेन्द्र नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष व 3. शिवराज पुत्र जयचन्द निवासी ग्राम लखनपटटी थाना बालिशनगर जिला समस्तीपुर बिहार हाल पता राजबाग कॉलोनी तिकोना पार्क के पास राजेन्द्र नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष को

चोरी किया हुआ स्पीकर (साउण्ड) सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि तीनों अभियुक्त राजेन्द्र नगर में रहते है। तीनों अभियुक्तों ने दिनांक 16.12.2025 को सीईएल कम्पनी के सामने से एक गाड़ी वैगनआर का शीशा तोड़कर गाडी में लगे साउण्ड सिस्टम को चुरा लिया था जिसे बेचने के लिये जा रहे थे कि पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. किशन पुत्र बाबूलाल निवासी गली न0 2 दुर्गा कॉलोनी राजेन्द्र नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।
2. रोशन पुत्र मुन्ना राजपूत निवासी ग्राम भागीचक थाना जमालपुर जिला मुंगेर बिहार हाल पता गली न0 2 राजबाग कॉलोनी राजेन्द्र नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष।
3. शिवराज पुत्र जयचन्द निवासी ग्राम लखनपटटी थाना बालिशनगर जिला समस्तीपुर बिहार हाल पता राजबाग कॉलोनी तिकोना पार्क के पास राजेन्द्र नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

चोरी किया हुआ स्पीकर (साउण्ड) बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना लिंक रोड पर चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई आजीवन कारावास की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक श्री रवि प्रकाश सिंह तत्कालीन सहायक पुलिस आयुक्त अंकुर विहार द्वारा की गयी विवेचना एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री राजेश चन्द्र शर्मा द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 498A/304B व वैकल्पिक धारा 302 भादवि व ¾ द0प्र0अ0 (D.P. Act) में अभियुक्त रवि पुत्र रामखिलावन गुप्ता निवासी गोसाई का पुरवा लम्भुआ जिला-सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, हाल निवासी गली न0 02 गुलाब वाटिका थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद द्वारा

आज दिनांक 17.12.2025 को वैकल्पिक धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

वादी की पुत्री के साथ दहेज की माँग को लेकर अभियुक्त(दामाद) द्वारा बेरहमी से मारपीट करके उसकी हत्या कर देने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनांक 03.10.2023 को थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।